

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राज., जयपुर

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज.

क्रमांक: एफ (48)संस्थापन/ अ.स.मा.वि./2013/ 2525

दिनांक: 14/7/2020

दिशा-निर्देश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में चयनित कनिष्ठ सहायकों के नियुक्ति हेतु जिला आवंटन के लिए व्यक्तिशः (In-Person) काउन्सलिंग के संबंध में गैर-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश -

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटित सफल कनिष्ठ सहायकों (परिशिष्टों-1) के व्यक्तिशः (In-Person) काउन्सलिंग के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु व्यक्तिशः (In-Person) काउन्सलिंग निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा भवन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर में दिनांक 22.07.2020 को प्रातः 10.30 बजे से की जावेगी।
2. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन जिले में स्पष्ट रिक्त पदों के विरुद्ध किया जावेगा। पदस्थापन अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः (In-Person) काउन्सलिंग में अभ्यर्थी की मेरिट के अनुसार उनके द्वारा दी गयी जिलों की वरीयता के अनुसार किया जायेगा।
3. सीधी भर्ती से चयनित कनिष्ठ सहायकों के पदस्थापन हेतु वरीयता कम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेरिट अनुसार निम्नानुसार रखा जायेगा:-
 1. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी
 2. विधवा
 3. परित्यक्ता
 4. एकल महिला
 5. भूतपूर्व सैनिक
 6. उत्कृष्ट खिलाड़ी
 7. पति अथवा पत्नी में से कोई पूर्व से राज्य सेवा/राजकीय विभाग/सार्वजनिक निगम/बोर्ड/ उपक्रम में कार्यरत होने पर शहीद परिवार के आश्रित एवं असाध्य रोग प्रकरण के अभ्यर्थी
 8. अन्य शेष अभ्यर्थी
4. पति अथवा पत्नी में से कोई पूर्व से राज्य सेवा/राजकीय विभाग/सार्वजनिक निगम/बोर्ड/उपक्रम में कार्यरत होने पर, कार्यरत पति/पत्नी का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण पत्र के आधार पर चयनित पति/पत्नी को कार्यरत पति/पत्नी के पदस्थापित जिले में रिक्ति उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावेगी। रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को उसकी अगली वरीयता में उपलब्ध रिक्त स्थान पर नियमानुसार जिला आवंटन किया जावेगा।
5. अभ्यर्थी के शहीद परिवार के आश्रित होने (संबंधित शहीद का सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर)/अभ्यर्थी के माता-पिता अथवा पति/पत्नी असाध्य रोग (ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी) से ग्रस्त होने (मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर)/अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिले में रहना अनिवार्य हो, तो रिक्त पद उपलब्ध होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को तथ्यों की पुष्टि कर जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो, आवंटन करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

6. चयनित अभ्यर्थियों में पति-पत्नी दोनों के चयन होने की स्थिति में दम्पति में से प्राथमिकता श्रेणी में उच्च वरीयता की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी की वरीयता अनुसार पति-पत्नी दोनों को उक्त उच्च वरीयता की स्थिति में प्रदर्शित की गयी रिक्तियों में से रिक्ति उपलब्ध होने पर दोनों को एक ही जिले में पदस्थापन हेतु प्राथमिकता से जिला आवंटन किया जा सकेगा।
7. विभाग के अधीन जिलों में रिक्तियों की सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।
8. व्यक्तिशः काउन्सलिंग के लिये बिन्दु संख्या 2 के अनुसार तैयार वरीयता सूची के अनुसार काउन्सलिंग का स्थान/समय एवं तिथि दिनांक 16.07.2020 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी जावेगी।
9. अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के दिन संलग्न चेकलिस्ट (परिशिष्ट-3) के अनुरूप अपने मूल दस्तावेज, दस्तावेजों की 2 स्व-हस्ताक्षरित फोटो प्रतियां, एवं 02 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ में लाना अनिवार्य है।
10. अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न प्रपत्र-अ ब स व द की उद्घोषणाएं, रुपये 10/- के स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित कर दिया जाना अनिवार्य है। प्रपत्र-य की घोषणा सादा कागज पर दी जानी है।
11. यदि अभ्यर्थियों के पहुंचने तक अभ्यर्थी का वरीयता कम निकल चुका है तो उसे उसके रिपोर्टिंग समय पर शेष बचे पदों में से ही काउन्सलिंग की जावेगी। देरी से आने वाले अभ्यर्थी से पूर्व यदि कनिष्ठ अभ्यर्थी की काउन्सलिंग चल रही है तो उसे रोका नहीं जावेगा, उसके पूर्ण होने पर ही देरी से आने वाले अभ्यर्थी की काउन्सलिंग की जावेगी।
12. अभ्यर्थी के व्यक्तिशः काउन्सलिंग के नियत दिन अनुपस्थित रहने पर सम्पूर्ण काउन्सलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही विचार किया जावेगा। एवं उस स्थिति में उपलब्ध शेष रिक्तियों पर काउन्सलिंग के आधार पर जिला आवंटन किया जावेगा।
13. अभ्यर्थियों एवं आगन्तुकों को राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा-निर्देश यथा मास्क एवं सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करनी होगी। उक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने पर काउन्सलिंग में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
14. अभ्यर्थियों को व्यक्तिशः काउन्सलिंग के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय नहीं है।
15. जिला आवंटन तथा नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाइट <http://minorityrajasthan.gov.in> पर काउन्सलिंग पूर्ण होने के आगामी दिवस में उपलब्ध करा दिया जावेगा। जिसको विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जाकर, नियुक्ति आदेश में अंकित निर्देशानुसार संबंधित कार्यालय में उपस्थिति दिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
16. अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपने पदस्थापन स्थान पर पदस्थापन से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
17. उपरोक्त शर्तों/निर्देशों में राज्य सरकार के विशिष्ट आदेशों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है।


 (अखिलेश कुमार पिपल)
 निदेशक

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राज, जयपुर

कारन्सलिंग की दिनांक 22.07.2020

स्थान का नाम-मीटिंग हॉल, मदरसा बोर्ड भवन, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राज, जयपुर

S.no	RANK	APPLICATION NO	ROLL NO	NAME	FATHER'S NAME	DATE OF BIRTH	GENDER	CAT
1	18935	201804046054	2396951	श्री विकास कुमार	श्री मूल चन्द	17.11.1994	पुरुष	एससी
2	19462	201805548299	2332389	श्री सतीश कुमार	श्री रामकुमार	05.08.1989	पुरुष	एससी
3	19483	201804673344	1727583	श्री किशन चांवरिया	श्री राजकुमार चांवरिया	09.08.1990	पुरुष	एससी
4	22296	201805019939	1353345	श्री दिनेश कुमार मीणा	श्री कैलाश चन्द मीणा	05.07.1997	पुरुष	एसटी
5	23019	201803383756	1782785	श्री मुकेश कुमार मीणा	श्री रामकरण मीणा	24.06.1988	पुरुष	एसटी
6	23031	201804403835	2424051	श्री विक्रम सिंह मीणा	श्री रमेश चन्द मीणा	06.03.1992	पुरुष	एसटी
7	23156	201806228770	2172348	श्री योगेश कुमार मीणा	श्री रामस्वरूप मीणा	06.07.1993	पुरुष	एसटी
8	23190	201805440890	1345665	श्री ब्रजेश कुमार मीणा	श्री रामचन्द्र मीणा	15.05.1995	पुरुष	एसटी
9	23193	201805179689	1351027	श्री धनसिंह मीणा	श्री किरोड़ी लाल मीणा	15.07.1995	पुरुष	एसटी
10	23339	201803721271	1365529	श्री देशराज मीणा	श्री धनश्याम मीणा	07.07.1993	पुरुष	एसटी
11	27380	201804044202	2041411	श्रीमती निशा जाजोरिया	श्री सिद्धि शंकर नोगिया	05.11.1986	महिला	एससी
12	27493	201803230126	1384500	श्रीमती दिव्या चौहान	श्री नन्दराम चौहान	10.05.1992	महिला	एससी
13	27498	201803258514	2384725	सुश्री संतोष	श्री लक्ष्मण राम	02.07.1995	महिला	एससी
14	27571	201803278480	1435440	सुश्री लक्ष्मी असवाल	श्री मदन लाल असवाल	01.07.1993	महिला	एससी
15	27574	201805186493	2297070	श्रीमती सीमा वर्मा	श्री सुखा राम बुनकर	13.06.1995	महिला	एससी

परिशिष्ट-2

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राज, जयपुर
कनिष्ठ सहायको की जिलेवार रिक्तियां

क्र. सं.	जिला का नाम	रिक्त पद
1	बाडमेर	1
2	भीलवाडा	1
3	दौसा	1
4	डूंगरपुर	1
5	जोधपुर	2
6	करौली	1
7	कोटा	1
8	पाली	1
9	प्रतापगढ	2
10	राजसमंद	2
11	सिरोही	1
12	सवाई माधोपुर	1
13	निदेशालय	1
	योग	16

चैकलिस्ट

1.	सैकण्डरी अंकतालिका	
2.	सीनियर सैकण्डरी अंकतालिका	
3.	स्नातक अंकतालिका	
4.	अधिस्नातक अंकतालिका	
5.	अन्य योग्यता	
6.	कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र	
7.	जाति प्रमाण पत्र	
8.	अन्तिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र	
9.	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पूर्व की तिथि का न हो) शिक्षण स्थान के अधिकारियों के मान्य नहीं	
10.	विवाह शपथ पत्र (प्रमाण पत्र हो तो सत्यापित प्रति) - प्रपत्र- अ	
11.	01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने/न होने का शपथ पत्र प्रपत्र- ब	
12.	दहेज न लेने का शपथ पत्र - प्रपत्र- स	
13.	अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला घोषण पत्र प्रपत्र- द	
14.	धूमपान न करने संबंधी शपथ पत्र (साधारण कागज पर) प्रपत्र- य	
15.	पत्र व्यवहार का पता	
16.	मूल निवास प्रमाण पत्र	
17.	आधार कार्ड	
18.	पते का प्रमाण पत्र, यथा-बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल, आधार कार्ड, वाहन लाईसेंस	
19.	अनापत्ति प्रमाण पत्र (राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए)	
20.	विधवा, परित्यक्ता, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र	

नों ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(विवाह शपथ-पत्र)

प्रपत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमति.....निवासी.....शपथपूर्वक
बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमति/श्रीनिवासी.....
...के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .
.....को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमति/श्री.....निवासी.....के साथ
दिनांकको राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत
नहीं हुआ है।

या

मैं.....अविवाहित हूँ।

या

मैं.....विधुर/विधवा हूँ(पत्नी/पति श्री/श्रीमति.....
.....)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री.....के साथ दिनांक.....
.....को सम्पन्न हुआ था।

शपथ गृहीता

नाम.....

पद:- कनिष्ठ सहायक

नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटैरी पब्लिक से प्रमाणित करावें।

(संतान शपथ-पत्र)

घोषणा-पत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(1) कार्मिक/क-2/96(33/01) दिनांक 20.06.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री रोल नं..... है, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 में कनिष्ठ सहायक के पद पर अभिस्तावित हुआ/हुई हूँ।

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या..... थी।

क्र.सं.

नाम

जन्म तिथि

2. दिनांक 01 जून 2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

दिनांक 1 जून 2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या है।

क्र.सं.

नाम

जन्म तिथि

शपथ गृहिता

नाम.....

पद:- कनिष्ठ सहायक

नोंन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें।

विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन
बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018 में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति
हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांक को हुआ। विवाह के समय मेरे घर वालों ने न तो दहेज
लिया है/न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की
ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने
का नियुक्तिकर्ता निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा
जिसके लिए मैं, प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

(नाम :-)
घोषणा कर्ता

स्थान :-

दिनांक :-
साक्षी

ससुराल पक्ष की ओर से

पिता पक्ष की ओर से

1. हस्ताक्षर
नाम
पता.....

1. हस्ताक्षर
नाम
पता.....

2. हस्ताक्षर
नाम
पता.....

2. हस्ताक्षर
नाम
पता.....

शपथ गृहिता
नाम.....
पद:- कनिष्ठ सहायक

नोंन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें।

अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे राजस्थान कर्मचारी
चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018 में कनिष्ठ सहायक के पद पर
नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह अभी नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घर वाले ना तो दहेज
लेंगे/ना ही देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई
शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का
नियुक्तकर्ता निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा जिसके
लिए मैं, प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

(नाम :-)
घोषणा कर्ता

स्थान :-

दिनांक :-
साक्षी

ससुराल पक्ष की ओर से

पिता पक्ष की ओर से

1. हस्ताक्षर
नाम
पता.....

1. हस्ताक्षर
नाम
पता.....

2. हस्ताक्षर
नाम
पता.....

2. हस्ताक्षर
नाम
पता.....

शपथ गृहिता
नाम.....
पद:- कनिष्ठ सहायक

कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु धूम्रमान नहीं करने संबंधी वचनबद्ध का प्रारूप

:—वचन बन्ध:—

मैं पुत्र/पुत्री श्री.....
उम्र जाति निवासी तहसील
..... जिला राज्य वचनबद्ध हूँ कि :-

1. यह है कि मेरा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग में चयन हुआ है। मेरा रोल नम्बर मेरिट नम्बर तथा चयन वर्ग है।
2. मैं धूम्रमान एवं गुटखा सेवन नहीं करता/करती हूँ तथा न ही भविष्य में करूंगा/करूगी।

हस्ताक्षर

वचनबद्धकर्ता

नाम :-
मेरिट संख्या :-
रोल नम्बर :-